जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 27.02.2024***

आज दिनांक 27.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1497 द्वारा छत से गिरकर घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1497 को थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रांतर्गत केचुआ खोर से इवेन्ट संख्या 01517 से कालर द्वारा एक व्यक्ति को छत से धक्का देकर घायल करने देने (अनिल कुमार पुत्र चन्द्रशेखर ग्रा0 केचुआखोर थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 04 मिनट में पहुँचकर घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धर्मसिंहवा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 कन्हैया लाल, आ0 विनय कुमार गौंड, हो0चा0 श्रीनिवास साहनी।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 53 वाहनों से 59,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 53 वाहनों से 59,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता 1- देवनाथ पुत्र मंजू निवासी सण्ठी थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 102/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- का0 आनन्द प्रकाश, का0 लक्ष्मीकान्त तिवारी।

जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　दिनाँक 27.02.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 08 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 27.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 08 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। ***थाना धर्मसिंहवा*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 08 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद-संतकबीरनगर　　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　दिनांक 27.02.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मार-पीट के मामलें मे 04 अभियुक्तो को 06-06 माह की परिवीक्षा व 20-20 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा 20 हजार के 02-02 प्रतिभू पर छोड़ा गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन कनविक्शन**"* व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन शिकंजा**"* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनांक 27.02.2024 को ***श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश / एससी एसटी एक्ट संतकबीरनगर*** द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 049/2006 धारा 323, 504, 506, 352, 352 भादवि व 3(1)(x) एससी एसटी एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध 04 अभियुक्तो नाम पता क्रमशः 01. प्रमोद सिंह पुत्र स्व0 अवधेश सिंह 02. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 अवधेश सिंह 03. विनोद सिंह पुत्र स्व0 अवधेश सिंह 04. रामजीत सिंह पुत्र स्व0 जनार्दन सिंह को धारा 323, 352, 506 भादवि के अपराध के लिए दोषसिद्ध पाये जाने पर 06-06 माह के सदाचारण की परिवीक्षा व 20-20 हजार रु0 के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा 20 हजार रु0 के 02-02 प्रतिभू पर छोड़ा गया।